न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 12/544

1. राधेश्याम पुत्र रामनारायण जाति मीणा ।
2. लोकेश पुत्र सीताराम जाति मीणा ।
3. कविता पुत्री सीताराम जाति मीणा ।
4. रितेश नाबालिग पुत्र सीताराम जरिये वलिया माता श्रीमती सूरजकला बेवा सीताराम जाति मीणा
5. सोनू नाबलिग पुत्री सीताराम जरिये वलिया माता श्रीमती सूरजकला बेवा सीताराम जाति मीणा
6. सूरज कला बेवा श्री सीताराम जाति मीणा ।
7. विशनी बेवा जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र किशन लाल जाति मीणा ।
2. जोधराज पुत्र किशन लाल जाति मीणा ।
3. जगदीश पुत्र किशन लाल जाति मीणा ।
4. रूकमणी पुत्री किशन लाल जाति मीणा निवासीगण हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमन्त कृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला, कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कुल 13 किता की 10.74 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 से 4 की माता स्वर्गीय दाख बाई का नाम उक्त आराजीयात में से खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 4 का नाम दाखां बाई के फौती इंतकाल में दर्ज नहीं किया जावे एवं वादी क्रम 7 श्रीमती विशनी बाई पत्नी श्री जगन्नाथ को उक्त आराजीयात पर खातेदारी की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बिशनी बाई का नाम

...तेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 के 60 वर्ष ...ने कब्जे काश्त एवं एडवर्स पजेशन की वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा नहीं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि को करने दे तथा वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करने दे ।

3. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2004 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2004 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 01.03.2005 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

6. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.03.2005 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2012 के द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2012 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करने का उचित एवं सम्यक अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में श्रीमती दाखा बाई को वादग्रस्त आराजी विरासत में मिलना उल्लेखित किया है । जबकि वादपत्र के जवाब एवं काउण्टर क्लेम में स्वयं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने यह माना है कि श्रीमती दाखां बाई को उक्त भूमि अपने पिता जगन्नाथ के निधन के पश्चात् विरासत में प्राप्त हुई थी और उनके विरासत के बाबत् खोले गये इंतकाल के बाबत् तनकी संख्या 06 गठित की गई थी जिससे साबित है कि श्रीमती दाखां बाई को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई थी । जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद इंतकाल संख्या 138 दिनांक 24.09.1996 खोला गया जिसमें जगन्नाथ जी की मृत्यु के उपरान्त श्रीमती दाखां बाई का नाम पुत्री के रूप में दर्ज किया गया है । दीवानी व्यवहार संग्रह का स्थापित सिद्धान्त है एवं ऐसे प्रावधान भी हैं कि प्रतिवाद पत्र में स्वीकृत कर लिये गये तथ्यों को अन्य दस्तावेजों के माध्यम से सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है । पक्षकारान मीणा जाति के व्यक्ति हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते हैं एवं अनुसूचित जनजाति पर

होने वाली व्यवस्था के अनुसार पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 4 जो श्रीमती दाखां बाई की पुत्री है के बाबत् इसी सिद्धान्त को अपनाया है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा चाही गई स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में राजस्व रिकॉर्ड के अंकन या अन्य अधिकार का विषय खातेदार के बाबत् नहीं रहता है बल्कि स्थायी निषेधाज्ञा के लिए यह तथ्य विवेचित किया जाना आवश्यक है कि कृषि भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले कई दशकों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2012 निरस्त फरमाई जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पैतृक कृषि भूमि है उक्त भूमि दाखां बाई के नाम विरासत उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जो विधि सम्मत है । वादीगण अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दास्तावेज प्रस्तुत नहीं है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी में दाखां बाई का नाम सहवन से दर्ज हुआ हो । वादग्रस्त आराजी दाखां बाई के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी और दाखां बाई की मृत्यु के बाद उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 07.05.2007 से प्रतिवादी कम 1 से 4 रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2012 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में श्रीमती दाखा बाई को वादग्रस्त आराजी विरासत में मिलना उल्लेखित किया है । जबकि वादपत्र के जवाब एवं काउण्टर क्लेम में स्वयं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने यह माना है कि श्रीमती दाखां बाई को उक्त भूमि अपने पिता जगन्नाथ के निधन के पश्चात् विरासत में प्राप्त हुई थी और उनके विरासत के बाबत् खोले गये इंतकाल के बाबत् तनकी संख्या 06 गठित की गई थी जिससे साबित है कि श्रीमती दाखां बाई को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई थी । जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद इंतकाल संख्या 138 दिनांक 24.09.1996 खोला गया जिसमें जगन्नाथ जी की मृत्यु के उपरान्त श्रीमती दाखां बाई का नाम पुत्री के रूप में दर्ज किया गया है ।

12. दीवानी व्यवहार संग्रह का स्थापित सिद्धान्त है एवं ऐसे प्रावधान भी हैं कि प्रतिवाद पत्र में स्वीकृत कर लिये गये तथ्यों को अन्य दस्तावेजों के माध्यम से सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है । पक्षकारान मीणा जाति के व्यक्ति हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते हैं एवं अनुसूचित जनजाति पर लागू होने वाली व्यवस्था के अनुसार पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 4 जो श्रीमती दाखां बाई की पुत्री है के बाबत् इसी सिद्धान्त को अपनाया है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा चाही गई स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में राजस्व रिकॉर्ड के अंकन या अन्य अधिकार का विषय खातेदार के बाबत् नहीं रहता है

स्थायी निषेधाज्ञा के लिए यह तथ्य विवेचित किया जाना आवश्यक है कि कृषि भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायाहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2012निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पैरा संख्या 11 एवं 12 में किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 12.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा